



शिक्षु प्रशिक्षण मंडल (पश्चिमी क्षेत्र), मुंबई
BOARD OF APPRENTICESHIP TRAINING (WESTERN REGION),
MUMBAI

शिक्षा मंत्रालय, उच्चतर शिक्षा विभाग, भारत सरकार का स्वायत्त संगठन

An autonomous organisation of

Ministry of Education, Department of Higher Education, Government of India

NSTI Campus, V. N. Purav Marg,
Sion, Mumbai - 400 022
e-mail: director.boatwr@gmail.com

Phone: ☎ 2405 5634 / 2405 5923

Fax: ☎ 2405 59 23

Web portal: <https://nats.education.gov.in>

Website: <https://boatwr.education.gov.in>

BOAT WR/2025/5768

28.10.2025

C I R C U L A R

To

All establishments implementing
National Apprenticeship Training Scheme (NATS),
and other stakeholders

Subject:

Continuation of the existing Central Government share of stipend paid to the Graduate, Degree, and Technician apprentices under National Apprenticeship Training Scheme (NATS)

You are requested to refer the Gazette Notification issued on 11/09/2025 by Government of India (copy enclosed), wherein it has been mentioned that the monthly rate of stipend for Graduate, Degree [students of Apprenticeship Embedded Degree/Diploma Programmes (AEDP)], and Technician apprentices is increased to the new rates w.e.f. 11/09/2025.

The establishments are hereby informed to pay the establishments' share accordingly. In this regard, it is to convey that as per the directives of Ministry of Education, Government of India, the current Central Government share of stipend i.e., Rs. 4,500/- for Graduate apprentices, and Degree apprentices (students of AEDP), and Rs. 4,000/- for Technician apprentices, for a month of their training, shall continue to be effective till further orders. All the establishments are requested to take a note of the same.

Sd/-
DIRECTOR

File No.: MSDE-1/3/2024-AT
(Computer No. 69444)
Government of India
Ministry of Skill Development & Entrepreneurship
Shastri Bhawan, New Delhi

Dated: 11th September, 2025

To

- 1) All Regional Central Apprenticeship Advisors (RDSDEs/ BoATS/ BoPT)
- 2) All State Apprenticeship Advisors
- 3) All Joint Apprenticeship Advisors

Subject: Gazette Notification on Apprenticeship (Amendment) Rules, 2025-Regarding

Sir/Madam,

Please find enclosed a copy of the Gazette Notification (No. G.S.R. 610(E), dated 3rd September 2025) issued by this Ministry regarding amendments to the Apprenticeship Rules, 1992. The Rules comes in force effective from the date of publication of the Gazette notification ie. 11-09-2025.

- 2) It is requested to take note of the provisions contained in the notification and ensure necessary action and compliance within your jurisdiction.

This issues with the approval of the competent Authority.

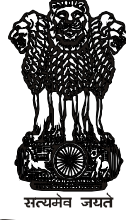
Encl: As stated above

Yours faithfully,

(N. Ramesh Babu)
Director

Copy to:

- 1) PS to Hon'ble MoS, MSDE, New Delhi
- 2) Vice-Chairman, Central Apprenticeship Council
- 3) All members of Central Apprenticeship Council
- 4) Sr. PPS to Secretary, MSDE, New Delhi
- 5) PPS to JS(AT), MSDE, New Delhi
- 6) Director General, DGT, New Delhi
- 7) DDG Hqrs/ DDG (ER)/ DDG(SR), DGT
- 8) All State Principal Secretaries dealing with Skilling
- 9) All Employing Ministries/Departments / Central Public Sector Enterprises (CPSEs) / Central Public Sector Undertakings / State/UT Governments / State Public Sector Undertakings and private Industries including MSMEs
- 10) Industry Associations – CII, FICII, ASSOCHAM, PHD Chamber of Commerce and Industry, NASSCOM and others.
- 11) Economic Advisor, DPE, New Delhi – With a request to circulate the gazette notification to all the CPSEs
- 12) Director, TS-VII Section, Department of Higher Education, New Delhi
- 13) CEO, NSDC, New Delhi
- 14) Exec VP/ GM (dealing with Apprenticeship), New Delhi – Requested to upload this letter on the apprenticeship portal.
- 15) Guard file – 2025



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-11092025-266074
CG-DL-E-11092025-266074

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 566]

नई दिल्ली, सोमवार, सितम्बर 8, 2025/भाद्र 17, 1947

No. 566]

NEW DELHI, MONDAY, SEPTEMBER 8, 2025/BHADRA 17, 1947

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 सितम्बर, 2025

सा.का.नि. 610(अ).— केंद्रीय सरकार, शिक्षता अधिनियम, 1961 (1961 का 52) की धारा 37 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय शिक्षता परिषद से परामर्श करने के उपरान्त शिक्षता नियम, 1992 में इसके आगे संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्:-

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम शिक्षता (संशोधन) नियम, 2025 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. शिक्षता नियम, 1992 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) में, नियम 2 में, (i) उप-नियम (1क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:- "(1ख) 'डिग्री शिक्षता' से अभिप्राय किसी ऐसे पाठ्यक्रम से है जिसमें शिक्षता पाठ्यक्रम का कोई समेकित घटक है;";

(ii) उप-नियम (6क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:-

"(6ख) 'संस्था' से अभिप्राय किसी ऐसे महाविद्यालय से है जो विश्वविद्यालय या बोर्ड द्वारा अनुमोदित डिग्री या डिप्लोमा पाठ्यक्रम संचालित करता है;

(6ग) 'क्षेत्रीय केंद्र' से अभिप्राय अधिनियम की शाखा 2 के उप-नियम (म्म) के अधीन निर्दिष्ट नगरों के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर स्थित क्षेत्रीय बोर्ड से है;";

(iii) उप-नियम (9) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किए जाएंगे, अर्थात्:--

"(9क) 'शिक्षुता कर्मचारी' कोई भी व्यक्ति है जिसे अनुबंध श्रमिक के रूप में नियोजित किया गया है, जैसा कि मजदूरी संहिता, 2019(2019 की 29) की शाखा 2 के उप-नियम (ग) में परिभाषित किया गया है या प्रवृत्त कोई अन्य विधि;

(9ख) "मानकनिःशक्तता वाला व्यक्ति" से अभिप्राय दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 की 49) की शाखा 2 के उप-नियम (र) में परिभाषित व्यक्ति से है;";

3. उक्त नियमों में, नियम 3में,--

(i) उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) कोई व्यक्ति स्नातक या डिग्री या तकनीशियन या तकनीशियन व्यावसायिक शिक्षु के रूप में नियोजित किए जाने के लिए तभी पात्र होगा जब वह अनुसूची 1क में निर्दिष्ट न्यूनतम शैक्षिक योग्यताओं में से किसी एक को संतुष्ट करता है;";

(ii) उप-नियम (2) में, परंतुक में, उप-नियम (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(खक) कोई भी डिग्री शिक्षु, तकनीकी संस्था या संस्था की अंतिम परीक्षा उत्तीर्ण करने के पश्चात् अधिनियम के अधीन शिक्षु के रूप में नियोजित किए जाने के लिए पात्र नहीं होगा, जहाँ ऐसा छात्र पाठ्यक्रम ग्रहण कर रहा है, जब तक कि शिक्षुता सलाहकार या क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार द्वारा, जैसा भी मामला हो, ऐसा अनुमोदित न किया गया हो;";

4. उक्त नियमों में, नियम 5 में, उप-नियम (2) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) प्रत्येक व्यवसाय या विषय क्षेत्र के लिए, मानक निःशक्तता वाले व्यक्ति के लिए ऐसे व्यवसाय या विषय क्षेत्र की उपयुक्तता निर्दिष्ट की जाएगी और व्यवसाय या विषय क्षेत्र में मानक निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण स्थान दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम, 2016 (2016 की 49) के उपबंधों के अधीन आरक्षित किए जाएंगे और यदि मानक निःशक्तता वाले व्यक्तियों से प्रशिक्षण स्थान भरे नहीं जा सकते, तो ऐसे खाली पड़े प्रशिक्षण स्थान अनुसूची II में निर्दिष्ट न्यूनतम शारीरिक स्वस्थता मानकों वाले व्यक्तियों द्वारा भरे जा सकेंगे और उचित सरकार व्यवसायों या विषय क्षेत्रों के लिए मानक निःशक्तताओं के लिए आदेश जारी करेगी।"

5. उक्त नियमों में, नियम 6 में, उप-नियम (2) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(2) नियोक्ता का दायित्व और व्यापार शिक्षु का दायित्व अनुसूची-V में निर्दिष्ट किया जाएगा, और स्नातक, तकनीशियन, तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं और डिग्री शिक्षु के संबंध में नियम और शर्तें अनुसूची VI में निर्दिष्ट की जाएंगी।"

6. उक्त नियमों में, नियम 7 में, उप-नियम (4) में, उप-नियम (ख) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) मध्यवर्ती पाठ्यक्रम और डिग्री शिक्षुताके छात्रों के मामले में, प्रायोगिक प्रशिक्षण की अवधि, जिसे वे शिक्षुता पाठ्यक्रम के अंग के रूप में ग्रहण करते हैं, शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि होगी।"

7. उक्त नियमों में, नियम 7क में,---

(i) उप-नियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(5क) मानक निःशक्तता वाले व्यक्तियों के लिए प्रशिक्षण स्थान नियोक्ता द्वारा प्रत्येक वैकल्पिक व्यवसाय में नियम 5 के उप-नियम (3) के उपबंधों के अनुसार आरक्षित किए जाएंगे;";

(ii) उप-नियम (14) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(14) न्यूनतम तीन वर्ष की डिग्री धारक या 10वीं कक्षा के पश्चात् तीन वर्ष का डिप्लोमा धारक या 12वीं उत्तीर्ण के पश्चात् दो वर्ष का डिप्लोमा धारक या स्कूल शिक्षा के माध्यमिक स्तर पूरी करने के पश्चात् दो वर्ष के अध्ययन वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम में प्रमाणपत्र धारक प्रत्येक शिक्षु जो वैकल्पिक व्यवसाय में शिक्षुताप्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है, अनुसूची VI में निर्दिष्ट स्नातक, तकनीशियन, तकनीशियन (व्यावसायिक) और डिग्री शिक्षुओं के लिए शिक्षुता संविदा की नियमों और शर्तों का पालन करेगा।"

8. उक्त नियमों में, नियम 7ख में, उप-नियम (3) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(3) एक वित्तीय वर्ष के भीतर, प्रत्येक अधिष्ठान, संविदा कर्मचारियों सहित अधिष्ठान की कुल सशक्त बल का 2.5 प्रतिशत से 15 प्रतिशत के दायरे में शिक्षुओं को नियोजित करेगा, बशर्ते कि न्यूनतम 5 प्रतिशत कुल स्थान नवीन शिक्षुओं और कौशल प्रमाणपत्र धारक शिक्षुओं के लिए आरक्षित किए जाएंगे और यदि नवीन शिक्षु और कौशल प्रमाणपत्र धारक शिक्षु के लिए निर्धारित स्थान प्रशिक्षण के लिए भरे नहीं जा सकते, तो ऐसे खाली पड़े प्रशिक्षण स्थान शिक्षुता सलाहकार* की अनुमति से शिक्षुओं की अन्य श्रेणियों द्वारा भरे जा सकेंगे।"

9. उक्त नियमों में, नियम 7 के पश्चात्, निम्नलिखित नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

7घ. प्रशिक्षणों के मध्य न्यूनतम अंतराल.- (1) दो शिक्षुता प्रशिक्षणों के मध्य न्यूनतम एक वर्ष का अंतराल होगा: बशर्ते कि पिछला प्रशिक्षण पूर्ण हो गया हो और ऐसे मामले में कोई अंतराल आवश्यक नहीं होगा जहां पिछला शिक्षुताप्रशिक्षण अधिनियम की शाखा 11 और नियम 6 के उप-नियम (2) के अधीन नियोक्ता के भाग में विफलता के कारण समाप्त किया गया हो।

(2) जहां किसी शिक्षु ने स्वास्थ्य या आर्थिक कठिनाई या स्थानांतरण, परिवहन या वृत्तिका परिवर्तन या भाषा अवरोध के कारण पिछला शिक्षुता संविदा समाप्त किया है, वहीं शिक्षु द्वारा समान नियोक्ता या किसी अन्य नियोक्ता के साथ शिक्षुताका एक अन्य संविदा करने से पहले तीन मास की प्रतीक्षा अवधि लागू होगी और महिलाओं के लिए कोई प्रतीक्षा अवधि नहीं होगी।

(3) कोई व्यक्ति अधिकतम दो शिक्षुता प्रशिक्षण ग्रहण कर सकता है और दूसरा प्रशिक्षण समान व्यवसाय में नहीं होगा।

(4) केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाने वाला वृत्तिका का व्यय केवल प्रथम-वार प्रशिक्षण तक सीमित रहेगा।

(5) जहां शिक्षुता की संविदा शिक्षु के भाग में संविदा की शर्तों का पालन करने में विफलता के कारण समाप्त किया जाता है, वहां शिक्षु अधिनियम के अधीन किसी अन्य नियोक्ता के साथ शिक्षुता का एक अन्य संविदा करने का हकदार नहीं होगा।"

10. उक्त नियमों में, नियम 11 में, उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) शिक्षुओं को देय प्रति मासवृत्तिका की न्यूनतम दर पाठ्यक्रम में निर्धारित योग्यताओं के अनुसार होगी। शिक्षुओं को देय प्रति मासवृत्तिका की न्यूनतम दर निम्नलिखित होगी, अर्थात्:-

सारणी

क्र. सं.	कोटि	निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका की रकम
(1)	(2)	(3)
1.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 5वीं-- कक्षा 9वीं)	रु. 6,800 प्रति मास
2.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 10वीं)	रु. 8,200 प्रति मास
3.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 12वीं)	रु. 9,600 प्रति मास
4.	राष्ट्रीय या राज्य प्रमाणपत्र धारक	रु. 9,600 प्रति मास
5.	तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु या व्यावसायिक प्रमाणपत्रधारक या मध्यवर्ती पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थानों के छात्र)	रु. 9,600 प्रति मास
6.	तकनीशियन शिक्षु या किसी भी शाखा में डिप्लोमा धारक या मध्यवर्ती पाठ्यक्रम (डिग्री संस्थानों के छात्र)	रु. 10,900 प्रति मास
7.	स्नातक शिक्षु या डिग्री शिक्षु या किसी भी शाखा में	रु. 12,300 प्रति मास।"

11. उक्त नियमों में, नियम 14 में,-

(i) उप-नियम (1) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(1) शिक्षु और नियोक्ता के मध्य अनुसूची III में निर्दिष्ट प्रारूप-1 के अनुसार किया गया शिक्षुता का संविदा पंजीकरण हेतु नियोक्ता द्वारा पोर्टल साइट पर अग्रेषित किया जाएगा और डिग्री शिक्षु और मध्यवर्ती पाठ्यक्रम छात्र के लिए, प्रारूप-1 के अनुसार संविदा संस्थान, शिक्षु और नियोक्ता के मध्य की जाएगी और पंजीकरण हेतु नियोक्ता द्वारा पोर्टल-साइट पर अग्रेषित किया जाएगा।";

(ii) उप-नियम (4) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“(4) प्रत्येक नियोक्ता अपने अधिष्ठान में नियोजित डिग्री, स्नातक, तकनीशियन और तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षुओं द्वारा किए गए कार्य और ग्रहण किए गए प्रशिक्षण का प्रत्येक तिमाही के लिए रिकॉर्ड रखेगा और प्रत्येक तिमाही के अंत में अनुसूची III में निर्दिष्ट फॉर्म शिक्षुता 3 में एक रिपोर्ट संबंधित उप क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार को या जैसा भी मामला हो, भेजेगा।”

12. उक्त नियमों में, अनुसूची-1क में, अनुक्रमांक 3 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएंगी, अर्थात्:-

“4. डिग्री शिक्षु	”4. यथा विहित अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा निर्धारित किया गया है।”
-------------------	---

13. उक्त नियमों में, अनुसूची-III में, प्रारूप-1 के स्थान पर, निम्नलिखित प्रारूप-1 प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

“प्रारूप-1

वयस्क या अवयस्क शिक्षुओं के लिए शिक्षुता प्रशिक्षण की आदर्श संविदा

I. शिक्षु के मूल विवरण

1. शिक्षु का नाम:

शिक्षु का फोटो

2. पिता/ माता/ पति या पत्नी का नाम:

3. विधिक संरक्षक का नाम *(अवयस्क के मामले में):

*अवयस्क शिक्षु वह है जिसने शिक्षु की आयु के 18 वर्ष पूरे नहीं किए हैं

4. लिंग: महिला/ पुरुष/ अन्य

5. जन्म तिथि: दिन/मास/वर्ष

6. उच्चतम शैक्षिक योग्यता:

7. क्या दिव्यांगजन से संबंधित है*(हाँ/नहीं)*

8.(क) क्या अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/ अल्पसंख्यक से संबंधित है*(हाँ/नहीं)*

(ख). कोटि का नाम

9. शिक्षु का आधार नंबर:

10. संविदा पंजीकरण संख्या:

11. पता:

12. मोबाइल नंबर:

13. ईमेल:

II. शिक्षु के शैक्षिक विवरण

14. पाठ्यक्रम/ व्यवसाय/ डिप्लोमा/ डिग्री का नाम:

15. संस्था का नाम और पता:

16. पंजीकरण/ नामांकन संख्या: 17. पूर्णता की स्थिति: *(पूर्ण/अध्ययनरत)*

18. उत्तीर्ण होने/ अपेक्षित पूर्णता का मास और वर्ष: *मास/वर्ष*

III. अधिष्ठान के विवरण

19. अधिष्ठान का पंजीकृत नाम और पता:

20. संपर्क व्यक्ति: 21. संपर्क नंबर: 22. ईमेल:

23. (क) क्या अधिष्ठान किसी सरकारी योजना के अधीन लाभों के लिए चयन कर रहा है *हाँ/नहीं*

(ख) यदि हाँ, योजना का नाम:

IV. संस्था विवरण (केवल मध्यवर्ती पाठ्यक्रम / डिग्री शिक्षुओं के लिए लागू)

24. संस्था संपर्क व्यक्ति:

25. संपर्क नंबर:

26. ईमेल:

27. (क) क्या संस्था किसी सरकारी योजना के अधीन

लाभों के लिए चयन कर रहा है: हाँ/नहीं

(ख) यदि हाँ, योजना का नाम:

V. शिक्षुताप्रशिक्षण विवरण

28. व्यवसाय/पाठ्यक्रम का नाम:

29. व्यवसाय/पाठ्यक्रम कोड:

30. शिक्षु क्रमांक:

31. प्रशिक्षण अवधि:

32. प्रशिक्षण प्रारंभ करने की तारीख: *दिन/मास/वर्ष*

33. प्रशिक्षण समाप्ति की तारीख: *दिन/मास/वर्ष*

34. के रूप में नामांकित: *(शिक्षु की अनुप्रयोज्यकोटि)

35. शिक्षुताप्रशिक्षण स्थान/अधिष्ठान का नाम और पता:

36. बेसिक प्रशिक्षण विवरण (यदि लागू हो):

(क) बेसिक प्रशिक्षण प्रदाता का नाम:

(ख) प्रशिक्षण केंद्र का नाम और पता:

(ग) संपर्क नंबर:

(घ) (i) प्रारंभ करने की तारीख: *दिन/मास/वर्ष* समाप्ति की तारीख: *दिन/मास/वर्ष*

(ii) प्रारंभ करने की तारीख: *दिन/मास/वर्ष* समाप्ति की तारीख: *दिन/मास/वर्ष*

VI. वृत्तिका विवरण

37.

वर्ष	अधिष्ठान का अंश	सरकारी अंश	कुल मासिक वृत्तिका
प्रथम			
द्वितीय			
तृतीय			

टिप्पण: मासिक वृत्तिका का सरकारी अंश, यदि कोई हो, संबंधित अधिष्ठान द्वारा लागू योजना दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट प्रासंगिक नियमों और शर्तों के पूर्ण होने पर सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से शिक्षु के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा और ऐसी नियमों और शर्तों के पूर्ण न होने की स्थिति में, अधिष्ठान पूर्ण मासिक वृत्तिका राशि का भुगतान शिक्षु को करने के लिए उत्तरदायी होगा।

VII. अतिरिक्त सूचना

38. क्या निम्नलिखित लागू हैं:

(क) मध्यवर्ती पाठ्यक्रम/एईडीपी: (हाँ/नहीं)

(ख) दूरस्थ कार्य: (हाँ/नहीं)

(ग) समुद्रपार में अन्तःकार्यप्रशिक्षण: (हाँ/नहीं)

(घ) नियोक्ता/ संस्था की ओर से कार्य करने वाली कोई प्राधिकृत अभिकरण (हाँ/नहीं)। यदि हाँ, अभिकरण का नाम

VIII.घोषणा

39. हम, नियोक्ता, शिक्षु/ संरक्षक और संस्थान, सत्यनिष्ठा पूर्वक घोषित करते हैं कि हमने शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का 52) और दायित्वों सहित शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा के संबंध में शिक्षुता नियम, 1992 को पढ़ लिया है और उनके अधीन किए गए सभी उपबंधों का पालन करने के लिए सहमत हैं। नियोक्ता, शिक्षु/संरक्षक और संस्था में से किसी के भी द्वारा चूक की स्थिति में, हम शिक्षुता नियम, 1992 के उपबंधों के अनुसार दूसरे पक्ष को प्रतिकर करने के लिए सहमत हैं (शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा के परिशिष्ट, खंड IX में शिक्षुता नियमों के मुख्य प्रावधान देखे जा सकते हैं)।

नियोक्ता के हस्ताक्षर

शिक्षु के हस्ताक्षर

संस्था के हस्ताक्षर

(केवल मध्यवर्ती पाठ्यक्रम/
डिग्री शिक्षुओं के लिए लागू)

संरक्षक के हस्ताक्षर*

अवयस्क शिक्षुओं के मामले में

IX. संविदा अनुमोदन और शिक्षुता सलाहकार विवरण

40. संविदा पंजीकरण की तारीख: *दिन/मास/वर्ष*

41. शिक्षुता सलाहकार का नाम और पता:

42. संविदा निष्पादन की तारीख को शिक्षु की आयु:

43. संपर्क नंबर:

44. ईमेल:

पंजीकरण प्राधिकारी के
हस्ताक्षर और मुहर
(शिक्षुता सलाहकार)

X. शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा का अनुलग्नक

शिक्षुता प्रशिक्षण संविदा से संबंधित शिक्षुता नियमों के मुख्य प्रावधान निम्नलिखित होंगे, अर्थात्:---

(1) शिक्षुओं को देय प्रति मास वृत्तिका की न्यूनतम दर पाठ्यक्रम में निर्धारित योग्यताओं के अनुसार होगी और शिक्षुओं को देय प्रति मास वृत्तिका की न्यूनतम दर नियम 11 के उप-नियम(1) के अधीन सारणी में निर्दिष्ट की जाएगी।

(2) वर्तमान में, विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित न्यूनतम मासिक वृत्तिका राशि नीचे दी गई सारणी में निर्दिष्ट है, अर्थात्:---

सारणी

क्र. सं.	कोटि	निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका की रकम
(1)	(2)	(3)
1.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 5वीं-- कक्षा 9वीं)	रु. 6,800 प्रति मास
2.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 10वीं)	रु. 8,200 प्रति मास

3.	स्कूल उत्तीर्ण (कक्षा 12वीं)	रु. 9,600 प्रति मास
4.	राष्ट्रीय या राज्य प्रमाणपत्र धारक	रु. 9,600 प्रति मास
5.	तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु या व्यावसायिक प्रमाणपत्रधारक या मध्यवर्ती पाठ्यक्रम (डिप्लोमा संस्थानों के छात्र)	रु. 9,600 प्रति मास
6.	तकनीशियन शिक्षु या किसी भी शाखा में डिप्लोमा धारक यामध्यवर्ती पाठ्यक्रम (डिग्री संस्थानों के छात्र)	रु. 10,900 प्रति मास
7.	स्नातक शिक्षु या डिग्री शिक्षु या किसी भी शाखा में	रु. 12,300 प्रति मास।”।

मासिक वृत्तिका का सरकारी अंश, यदि कोई हो, संबंधित अधिष्ठान द्वारा लागू योजना दिशा-निर्देशों में निर्दिष्ट प्रासंगिक नियमों और शर्तों के पूर्ण होने पर सरकार द्वारा प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के माध्यम से शिक्षु के बैंक खाते में भुगतान किया जाएगा और ऐसी नियमों और शर्तों के पूर्ण न होने की स्थिति में, अधिष्ठान पूर्ण मासिक वृत्तिका राशि का भुगतान शिक्षु को करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(3) शिक्षुता प्रशिक्षण के दूसरे वर्ष के दौरान, निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि में दस प्रतिशत की वृद्धि होगी और शिक्षुता प्रशिक्षण के तीसरे वर्ष के दौरान निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि में और 15 प्रतिशत की वृद्धि होगी।

(4) शिक्षु, आचरण और अनुशासन और सुरक्षा के सभी मामलों में अधिष्ठान के नियमों और विनियमों का पालन करेगा और अधिष्ठान में नियोक्ता और वरिष्ठों के सभी वैध आदेशों का पालन करेगा।

(5) कारखाना अधिनियम, 1948 (1948 का 63) के अध्याय III, IV और V के प्रावधान, शिक्षुओं के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के संबंध में लागू होंगे मानो वे उस अधिनियम के अर्थ के भीतर कर्मचारी हों और जब कोई शिक्षु किसी खान में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे हों, वहां खान अधिनियम, 1953 (1952 का 35) के अध्याय V के प्रावधान शिक्षुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा के संबंध में लागू होंगे मानो वे खान में नियोजित हों।

(6) कार्यस्थान में प्रायोगिक प्रशिक्षण ग्रहण करने के दौरान एक शिक्षु के दैनिक और साप्ताहिक कार्य घंटे नियोक्ता द्वारा निर्धारित किए जाएंगे, बशर्ते कि प्रशिक्षण अवधि, यदि निर्धारित है, का अनुपालन किया जाए और शिक्षु ऐसी छुट्टियों और अवकाशों का हकदार होगा जैसा कि उस अधिष्ठान में मनाया जाता है जिसमें वह प्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है।

(7) यदि किसी शिक्षु को उसके शिक्षु के रूप में प्रशिक्षण के दौरान और उससे उत्पन्न दुर्घटना के कारण व्यक्तिगत चोट लगती है, तो उसका नियोक्ता प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा जिसे निर्धारित और भुगतान किया जाएगा, जहाँ तक संभव हो, कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम, 1923 (1923 का 8) के उपबंधों के अनुसार।

(8) शिक्षु उन नियमों और विनियमों (संगत कोटि के कर्मचारियों पर लागू) के अधीन होगा जिस अधिष्ठान में शिक्षु प्रशिक्षण ग्रहण कर रहा है।

(9) अधिष्ठान में शिक्षुता प्रशिक्षण ग्रहण करने वाला प्रत्येक शिक्षु एक प्रशिक्षु होगा न कि श्रमिक और इस प्रकार श्रम के संबंध में किसी भी विधि के प्रावधान ऐसे शिक्षु पर लागू नहीं होंगे या उससे संबंधित नहीं होंगे।

(10) नियोक्ता अपने अधिष्ठान में अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार शिक्षु को शिक्षुता प्रशिक्षण का एक पाठ्यक्रम प्रदान करने के लिए केंद्रीय या राज्य शिक्षुता सलाहकार की अनुमति से उपयुक्त व्यवस्था करेगा।

(11) नियोक्ता के लिए यह अनिवार्य नहीं होगा कि वह अपने अधिष्ठान में शिक्षुता प्रशिक्षण की अवधि पूरी होने पर शिक्षु को कोई रोजगार प्रदान करे।

(12) किसी विशेष मास के लिए वृत्तिका का भुगतान अगले मास की दसवीं तारीख को या उससे पहले किया जाएगा।

(13) वृत्तिका में से उस अवधि के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी जिसके दौरान कोई शिक्षु आकस्मिक छुट्टी या चिकित्सकीय छुट्टी पर रहता है और शिक्षुता पोर्टल पर वृत्तिका भुगतान माँड्यूल के लिए अधिष्ठान को मास के लिए प्रत्येक उम्मीदवार को देय अनधिकृत छुट्टियों और वृत्तिका राशि को अद्यतन करने की आवश्यकता होगी।

(14) जहां शिक्षुता की संविदा किसी नियोक्ता के भाग में उसकी नियमों और शर्तों का पालन करने में विफलता के माध्यम से समाप्त किया जाता है, वहां ऐसा नियोक्ता इन नियमों के अधीन शिक्षु को प्रतिकर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(15) प्रत्येक शिक्षु के शिक्षुता प्रशिक्षण में प्रगति का आकलन नियोक्ता द्वारा समय-समय पर किया जाएगा और प्रत्येक शिक्षु जो नियोक्ता की संतुष्टि पर अपना शिक्षुता प्रशिक्षण पूरा करता है, उसे उस नियोक्ता द्वारा दक्षता प्रमाणपत्र प्रदान किया जाएगा जो संबंधित पुरस्कार देने वाली संस्था द्वारा आगे के आकलन या प्रमाणन का आधार होगा।

(16) डिग्री शिक्षुताकी शर्तें निम्नलिखित होंगी, अर्थात्:-

(i) नियोक्ता संविदा के अनुसार और अधिनियम के समग्र उपबंधों के अधीन अनुमोदित कार्यक्रम के अनुसार शिक्षुता प्रशिक्षण प्रदान करेगा;

(ii) अकादमिक संस्था उद्योग भागीदार या नियोक्ता के साथ साझेदारी में किए गए शिक्षुता घटक के प्रबंधन सहित अनुमोदित पाठ्यक्रम पाठ्यक्रम के अनुसार पाठ्यक्रम संचालित करेगा;

(iii) पोर्टल पर शिक्षुता संविदाओं और अन्य संबंधित अनुपालन का मानचित्रण और रिपोर्टिंग शैक्षणिक संस्था या उसकी ओर से कार्य करने वाली कोई प्राधिकृत अभिकरण के साथ निहित होगा;

(iv) नियोक्ता शिक्षुओं को प्रशिक्षण अवधि के मध्य निर्धारित शैक्षणिक सत्रों में भाग लेने की अनुमति देगा, चाहे वह अन्तःकार्य प्रशिक्षण परिसर में हो या शैक्षणिक संस्था परिसर में, जैसा भी मामला हो।

(17) शिक्षुता प्रोत्साहन के लिए किसी अनुप्रयोज्य सरकारी योजना के मामले में, अधिष्ठान या शिक्षु या संरक्षक (अवयस्क शिक्षु के मामले में) यह वारंट और पुष्टि करते हैं कि उन्होंने उनसे संबंधित योजना दिशा-निर्देशों का अध्ययन किया है, समझा है और उनका पालन करने के लिए सहमत हैं, और इन दिशा-निर्देशों को सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध कराया जाएगा और समय-समय पर अद्यतन किया जा सकता है।";

14. उक्त नियमों में, अनुसूची-IV में, पैरा 2 के स्थान पर, निम्नलिखित पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"2. डिग्री और स्नातक शिक्षुओं के मामले में:

अध्ययन या इंजीनियरिंग या प्रौद्योगिकी के उचित शाखा में डिग्री धारक होना चाहिए या भारत सरकार या अखिल भारतीय परिषद या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा मान्यता प्राप्त समकक्ष योग्यता।"

15. उक्त नियमों में, अनुसूची-V में, पैरा 1 के अंतर्गत, नियोक्ता के दायित्वों (वयस्क और अवयस्क दोनों व्यापार शिक्षुओं के मामले में) से संबंधित, ---

(i) उप-पैरा (2) में, उप-नियम (क) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ख) नियोक्ता बेसिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम या प्रायोगिक प्रशिक्षण के पाठ्यक्रम या दोनों को ऑनलाइन या आभासी या इलेक्ट्रॉनिक या मिश्रित मोड के माध्यम से प्रदान करने के लिए उपयुक्त व्यवस्था करेगा, केन्द्रीय शिक्षुतापरिषद के परामर्श से केन्द्र सरकार द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम के अनुसार निर्दिष्ट व्यवसाय के लिए और वैकल्पिक व्यवसाय के लिए, पाठ्यक्रम राष्ट्रीय परिषद द्वारा अनुमोदित किया जाएगा। नियोक्ता शिक्षुओं को ऐसे प्रशिक्षण में केवल सुबह 8.00 बजे से शाम 6.00 बजे के बीच नियोजित करेगा और इस समय में किसी भी छूट के लिए शिक्षुता सलाहकार द्वारा, मामला-दर-मामला के आधार पर, अनुमोदित किया जाएगा, अधिनियम की शाखा 15 के अधीन प्रदान किए गए कार्य के घंटे, अतिरिक्त समय, छुट्टियाँ और अवकाश;"

(ii) उप-पैरा (5) में, उप-नियम (ख) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-नियम अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(ग) एक अधिष्ठान प्रायोगिक प्रशिक्षण अवधि के दौरान केवल एक वयस्कशिक्षु को देश के भीतर या विदेशों में किसी ग्राहक की अवस्थिति (प्रायोगिक प्रशिक्षण के कार्यस्थान के अतिरिक्त) में तैनात कर सकता है और कोई अवयस्कशिक्षु तैनात नहीं किया जाएगा: बशर्ते कि अधिष्ठान शिक्षु को अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान करेगा ---

(i) देश के भीतर किसी ग्राहक की अवस्थिति के लिए, निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि के अतिरिक्त नियम 11 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान करेगा और अतिरिक्त प्रतिकर तैनाती की ऐसी अवधि के लिए न्यूनतम निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि, आना-जाना यात्रा लागत, आवास, भोजन, अस्पताल में भर्ती होने की लागत और बीमा होगी।

(ii) विदेशों में किसी ग्राहक की अवस्थिति के लिए, निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि के अतिरिक्त नियम 11 के उप-नियम (1) में निर्दिष्ट न्यूनतम निर्धारित न्यूनतम वृत्तिका राशि के कम से कम दोगुनी अतिरिक्त प्रतिकर का भुगतान करेगा और

अधिष्ठान बीजा, यात्रा, चिकित्सा परीक्षण, अस्पताल में भर्ती, बीमा, आना-जाना यात्रा लागत, रहने और भोजन की लागत वहन करेगा;

(iii) अधिष्ठान द्वारा किसी भी उल्लंघन का निपटान संबंधित देश के स्थानीय श्रम कार्यालय द्वारा किया जाएगा;

(iv) शिक्षुता सलाहकार देश के भीतर या विदेशों में शिक्षु की तैनाती को मामला-दर-मामला के आधार पर अनुमोदित करेगा;

(v) नियोक्ता अकेले ग्राहक की अवस्थिति में प्रशिक्षण की अवधि के लिए शिक्षु को वृत्तिका का भुगतान करेगा और वृत्तिका की कोई लागत केन्द्र सरकार द्वारा वहन नहीं की जाएगी।"

16. उक्त नियमों में, अनुसूची- VI में,--

(i) शीर्षक के स्थान पर, निम्नलिखित शीर्षक प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्नातक, तकनीशियन, तकनीशियन (व्यावसायिक) और डिग्री शिक्षुओं के लिए शिक्षुताअनुबंध की नियम और शर्तें";

(ii) पैरा (5) में, उप-पैरा (i) और (ii) में, "क्षेत्रीय केंद्रीय शिक्षुता सलाहकार" शब्दों के पश्चात्, क्रमशः "या शिक्षुता सलाहकार" शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे।

(iii) पैरा (6) में, उप-पैरा (i) के स्थान पर, निम्नलिखित उप-पैरा प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(i) एक स्नातक, तकनीशियन, तकनीशियन (व्यावसायिक) शिक्षु और डिग्री शिक्षु उस अधिष्ठान विभाग के सामान्य कार्य घंटों के अनुसार कार्य करेगा जिसमें वह प्रशिक्षण के लिए संलग्न है।";

(iv) पैरा (6) के पश्चात्, निम्नलिखित पैरा अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"(7) संस्था की जिम्मेदारी निम्नलिखित होगी, अर्थात्:-

(i) शिक्षु और नियोक्ता के मध्य एक शिक्षुताअनुबंध करना;

(ii) पोर्टल साइट पर संबंधित अनुपालन सुनिश्चित करना;

(iii) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद और विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार या जैसा भी मामला हो, प्रबंधन, अनुवीक्षण और मूल्यांकन;

(iv) संबंधित शिक्षुता सलाहकार को अधिष्ठान की किसी भी यात्रा के बारे में सूचित रखना।"

[फा. सं. एमएसडीई-1/3/2024-एटी]

श्रीशैल मालो, संयुक्त सचिव

टिप्पण: शिक्षुता नियम, 1992, तारीख 15 जुलाई, 1992 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 356 द्वारा तारीख 1 अगस्त, 1992 भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (i) में प्रकाशित किए गए थे और तारीख 19 अप्रैल, 2024 की अधिसूचना सं. सा.का.नि. 254(अ) द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF SKILL DEVELOPMENT AND ENTREPRENEURSHIP

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd September, 2025

G.S.R. 610(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 37 of the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961), after consulting the Central Apprenticeship Council, the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Apprenticeship Rules, 1992, namely: —

1. (1) These rules may be called the Apprenticeship (Amendment) Rules, 2025.
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. In the Apprenticeship Rules, 1992 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, —
 - (i) after clause (1A), the following clause shall be inserted, namely:—

“(1B) ‘degree apprenticeship’ means a course having apprenticeship as an integrated component of the curriculum;”;
 - (ii) after clause (6A), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(6B) ‘Institution’ means a college imparting a degree or diploma course approved by the University or Board;

(6C) “‘Regional Centre’ means Regional Board at locations other than the cities specified under clause (mm) of section 2 of the Act;”;
 - (iii) after clause (9), the following clauses shall be inserted, namely:—

“(9A) ‘contractual staff’ is any person employed as a contract labour as defined in clause (g) of section 2 of the Code on Wages, 2019 (29 of 2019) or any other law for the time being in force;

(9B) “‘person with benchmark disability’ means a person as defined in clause (r) of section 2 of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016);”;
3. In the said rules, in rule 3,—
 - (i) for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) A person shall be eligible for being engaged as a graduate or degree or technician or technician vocational apprentice if he satisfies one of the minimum educational qualifications specified in Schedule IA:”;
 - (ii) in sub-rule (2), in the proviso, after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:—

“(ba) no degree apprentice shall be eligible for being engaged as an apprentice under the Act after passing the final examination of the technical institution or institution wherein such student is undergoing the course unless so approved by the Apprenticeship Adviser or Regional Central Apprenticeship Adviser as the case may be;”;
4. In the said rules, in rule 5, after sub-rule (2), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(3) For every trade or subject field, suitability of such trade or subject field for person with benchmark disability shall be specified and the training places for persons with benchmark disabilities in trade or subject field shall be reserved under the provisions of the Rights of Persons with Disabilities Act, 2016 (49 of 2016) and if the training places cannot be filled from persons with benchmark disabilities, then the training places so lying unfilled may be filled by persons having minimum standards of physical fitness specified in Schedule II and the appropriate Government shall issue orders for benchmark disabilities for trades or subject fields.”.
5. In the said rules, in rule 6, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(2) The obligation of the employer and that of the trade apprentice shall be as specified in Schedule-V, and the terms and conditions in respect of graduate, technician, technician (vocational) apprentices and degree apprentice shall be as specified in Schedule VI.”.
6. In the said rules, in rule 7, in sub-rule (4), for clause (b), the following clause shall be substituted, namely:—

“(b) In the case of Sandwich Course and Degree Apprenticeship students, the period of practical training, they undergo as part of apprenticeship course of studies shall be the period of apprenticeship training.”.
7. In the said rules, in rule 7A,—
 - (i) after sub-rule (5), the following sub-rule shall be inserted, namely:—

“(5A) The training places for the persons with benchmark disabilities shall be reserved by the employer in every optional trade in accordance with the provisions of sub-rule (3) of rule 5.”;

(ii) for sub-rule (14), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(14) Every apprentice possessing a degree of minimum three years or a diploma of three years after 10th class or diploma of two years after 12th pass or a certificate in vocational course involving two years of study after completion of secondary stage of school education and undergoing apprenticeship training in optional trade shall follow the terms and conditions of contract of apprenticeship for graduate, Technician, Technician (vocational) and degree apprentices specified in Schedule VI.”.

8. In the said rules, in rule 7B, for sub-rule (3), the following sub-rule shall be substituted namely:-

“(3) Within a financial year, each establishment shall engage apprentices in a band of 2.5 per cent. to 15 per cent. of the total strength of the establishment including contractual staff, subject to a minimum of 5 per cent. of the total to be reserved for fresher apprentices and skill certificate holder apprentices and if the prescribed training places for fresher apprentice and skill certificate holder apprentice cannot be filled, then the training places so lying unfilled may be filled by other categories of apprentices with the approval of the apprenticeship adviser.”.

9. In the said rules, after rule 7C, the following rule shall be inserted, namely:-

“7D. Minimum gap between trainings.— (1) There shall be minimum one year gap between two apprenticeship training: Provided that the previous training is completed and no gap shall be required in the case of termination of previous apprenticeship training due to failure on the part of the employer provided under section 11 of the Act and sub-rule (2) of rule 6.

(2) Where an apprentice has terminated a previous apprenticeship contract due to health or financial hardship or relocation, transportation or career changes or language barrier, the waiting period of three month shall apply before the apprentice shall enter into another contract of apprenticeship with the same employer or any other employer and there shall be no waiting period for women.

(3) A person may undergo maximum two apprenticeship training and the second training shall not be in the same trade.

(4) The cost of stipend borne by the Central Government and shall be restricted to the first-time training only.

(5) Where the contract of apprenticeship is terminated for the failure on the part of the apprentice to carry out the terms of contract, the apprentice shall not be entitled to enter into another contract of Apprenticeship under the Act with any other employer.”.

10. In the said rules, in rule 11, for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:-

“(1) The minimum rate of stipend payable to apprentices per month shall be as per the qualifications stipulated in the curriculum. The minimum rate of stipend payable to apprentices per month shall be the following, namely:-

Table

Sl. No.	Category	Prescribed minimum amount of stipend
(1)	(2)	(3)
1.	School pass-outs (class 5 th – class 9 th)	Rs. 6,800 per month
2.	School pass-outs (class 10 th)	Rs. 8,200 per month
3.	School pass-outs (class 12 th)	Rs. 9,600 per month

4.	National or State Certificate holder	Rs. 9,600 per month
5.	Technician (vocational) apprentice or Vocational Certificate holder or Sandwich Course (Students from Diploma Institutions)	Rs. 9,600 per month
6.	Technician apprentices or diploma holder in any stream or sandwich course (students from degree institutions)	Rs. 10,900 per month
7.	Graduate apprentices or degree apprentices or degree in any stream	Rs. 12,300 per month.”.

11. In the said rules, in rule 14,—

(i) for sub-rule (1), the following sub-rule shall be substituted, namely:—

“(1) A contract of apprenticeship as entered between an apprentice and the employer as per Format-1 specified in Schedule III shall be forwarded on the portal site by the employer for registration and for degree apprentice and sandwich course student, the contract as per Format-I will be entered between Institution, apprentice and employer and shall be forwarded on the portal-site by the employer for registration.”;

(ii) for sub-rule (4), the following sub-rule shall substituted, namely:—

(4) Every employer shall maintain a record of the work done and training undertaken by the degree, graduate, technician and technician (vocational) apprentices engaged in his establishment, for each quarter and at the end of each quarter shall send a report in Form Apprenticeship 3 specified in Schedule III to the concerned Deputy Regional Central Apprenticeship Adviser or as the case may be.”.

12. In the said rules, in SCHEDULE-IA, after serial number 3 and the entries relating thereto, the following serial number and entries shall be inserted, namely:-

“4. Degree apprentices	As prescribed by the All India Council for Technical Education or University Grants Commission.”.
------------------------	---

13. In the said rules, in SCHEDULE-III, for the FORMAT-1, the following FORMAT-1 shall be substituted, namely:-

“FORMAT-1

Model Contract of Apprenticeship Training for Major or Minor* Apprentices

I. APPRENTICE BASIC DETAILS

1.Apprentice Name:

2.Name of Father/ Mother/ Spouse:

3.Name of Legal Guardian (*in case of Minor**):

**Minor apprentice is one who has not completed 18 years of age of the Apprentice*

4.Gender Female/ Male/ Other
DD/MM/YYYY

5. Date of Birth:

6.Highest Education Qualification:

7.Whether belongs to PwD(Yes/No)

8.(a).Whether belongs to SC/ST/OBC/ Minority(Yes/No)

(b). Name of the Category

9. Apprentice Aadhaar Number:

10. Contract Registration Number:

11. Address:

12.Mobile Number:

13.Email:

Photograph
of the Apprentice

II. APPRENTICE EDUCATION DETAILS

14. Name of the Course/ Trade/ Diploma/ Degree:

15. Name and Address of the Institution:

16. Registration/ Enrolment Number: 17. Status of Completion: (*Completed/ Pursuing*)18. Month & Year of Passing/ Expected Completion: *MM/YYYY***III. ESTABLISHMENT DETAILS**

19. Registered Name and Address of the Establishment:

20. Contact Person:

21. Contact Number:

22. Email:

23. (a) Whether the establishment is opting for the benefits under any Government Scheme *Yes/No*

(b) If Yes, name of the Scheme:

IV. INSTITUTION DETAILS (Applicable for sandwich course/ degree apprentices only)

24. Institution Contact Person:

25. Contact Number:

26. Email:

27. (a) Whether the Institution is opting for the benefits under any Government Scheme: *Yes/No*

(b) If yes, name of the Scheme:

V. APPRENTICESHIP TRAINING DETAILS

28. Trade/Course Name:

29. Trade/Course Code:

30. Apprentice No.:

31. Training Duration:

32. Training Start Date: *DD/MM/YYYY*33. Training End Date: *DD/MM/YYYY*34. Enrolled as: (*applicable category of apprentice*)

35. Name and Address of Apprenticeship Training Location/ Establishment:

36. Basic Training Details (if applicable):

(a) Name of the Basic Training Provider:

(b) Training Centre Name and Address:

(c) Contact Number:

(d) (i) Start Date: *DD/MM/YYYY*End Date: *DD/MM/YYYY*(ii) Start Date: *DD/MM/YYYY*End Date: *DD/MM/YYYY***VI. STIPEND DETAILS**

37.

Year	Establishment share	Government share	Total monthly stipend
1 st			
2 nd			
3 rd			

Note: The Government share of monthly stipend, if any, shall be paid by the Government through Direct Benefit Transfer to the apprentice's bank account upon the fulfillment of the relevant terms and conditions by the concerned Establishment specified in the applicable scheme guidelines and in case of non-fulfilment of such terms and conditions, the Establishment is liable to pay the monthly stipend amount in full to the apprentice.

VII. ADDITIONAL INFORMATION

38. Whether the following are applicable:

(a) Sandwich Course/ AEDP: (Yes/ No)

(b) Remote Work: (Yes/ No)

(c) Overseas on-the-job training: (Yes/No)

(d) Any authorised agency working on behalf of the employer/ Institution (Yes/No). If Yes, Name of the agency

VIII. DECLARATION

39. We, the Employer, Apprentice/Guardian and Institution solemnly declare that we have read the Apprentices Act, 1961 (52 of 1961) and the Apprenticeship Rules, 1992 regarding the Contract of Apprenticeship Training including obligations and agree to abide by all the provisions made thereunder. In case of default by any of the Employer, Apprentice/Guardian and Institution, we agree to compensate the other party as per the provisions of the Apprenticeship Rules, 1992 (Main Provisions of the Apprenticeship Rules may be seen in the Enclosure to the Contract of Apprenticeship Training, Section IX).

Signature of the Employer

Signature of Apprentice

Signature of Institution

(Applicable for Sandwich Course/
Degree Apprentices only)

Signature of Guardian*

*in case of Minor Apprentices

IX. CONTRACT APPROVAL AND APPRENTICESHIP ADVISER DETAILS

40. Contract Registration Date: DD/MM/YYYY

41. Name and Address of the Apprenticeship Adviser:

42. Age of Apprentice on the Date of Execution of Contract:

43. Contact Number:

44. Email:

Signature and Stamp of the
Registering Authority
(Apprenticeship Adviser)

X. ENCLOSURE TO CONTRACT OF APPRENTICESHIP TRAINING

The main provisions of the apprenticeship rules relating to the Contract of Apprenticeship training shall be the following, namely:—

- (1) The minimum rate of stipend payable to apprentices per month shall be as per the qualifications stipulated in the curriculum and the minimum rate of stipend payable to apprentices per month shall be as specified in the Table under sub-rule(1) of rule 11.
- (2) Presently, the prescribed minimum amount of monthly stipend for the various categories as specified in the Table below, namely:—

Table

Sl. No.	Category	Prescribed minimum amount of stipend
(1)	(2)	(3)
1.	School pass-outs (class 5 th – class 9 th)	Rs. 6,800 per month
2.	School pass-outs (class 10 th)	Rs. 8,200 per month

3.	School pass-outs (class 12 th)	Rs. 9,600 per month
4.	National or State Certificate holder	Rs. 9,600 per month
5.	Technician (vocational) apprentice or Vocational Certificate holder or Sandwich Course (Students from Diploma Institutions)	Rs. 9,600 per month
6.	Technician apprentices or diploma holder in any stream or sandwich course (students from degree institutions)	Rs. 10,900 per month
7.	Graduate apprentices or degree apprentices or degree in any stream	Rs. 12,300 per month.”.

The Government share of monthly stipend, if any, will be paid by the Government through Direct Benefit Transfer to the apprentice's bank account upon the fulfillment of the relevant terms and conditions by the concerned Establishment specified in the applicable scheme guidelines and in case of non-fulfilment of such terms and conditions, the Establishment is liable to pay the monthly stipend amount in full to the apprentice.

- (3) During the second year of apprenticeship training, there shall be an increase of ten per cent. in the prescribed minimum stipend amount and further 15 per cent. increase in the prescribed minimum stipend amount during the third year of apprenticeship training.
- (4) The apprentice shall abide by the rules and regulations of the establishment in all matters of conduct and discipline and safety and carry out all lawful orders of the employer and superiors in the establishment.
- (5) The provisions of Chapters III, IV and V of the Factories Act, 1948 (63 of 1948), shall apply in relation to the health, safety and welfare of the apprentices as if they were workers within the meaning of that Act and when any apprentices are undergoing training in a mine, the provisions of Chapter V of the Mines Act, 1953 (35 of 1952) shall apply in relation to the health and safety of the apprentices as if they were employed in the mine.
- (6) The daily and weekly hours of work of an apprentice while undergoing practical training in a workplace shall be determined by the employer subject to the compliance with the training duration, if prescribed and apprentice shall be entitled to such leave and holidays as are observed in the establishment in which he is undergoing training.
- (7) If personal injury is caused to an apprentice, by accident arising out of and in the course of his training as an apprentice, his employer shall be liable to pay compensation which shall be determined and paid, so far as may be, in accordance with the provisions of the Employee's Compensation Act, 1923 (8 of 1923).
- (8) The apprentice shall be governed by the rules and regulations (applicable to employees of the corresponding category) in the establishment in which the apprentice is undergoing training.
- (9) Every apprentice undergoing apprenticeship training in an establishment shall be a trainee and not a worker and as such the provisions of any law with respect to labour shall not apply to or in relation to such apprentice.
- (10) The employer shall make suitable arrangements in his establishment for imparting a course of apprenticeship training to the apprentice in accordance with the provisions of the Act and the rules made thereunder with the approval of the Central or State Apprenticeship Advisor.
- (11) It shall not be obligatory on the part of the employer to offer any employment to the apprentice on completion of period of his apprenticeship training in his establishment.
- (12) The stipend for a particular month shall be paid on or before the tenth day of the following month.
- (13) No deduction shall be made from the stipend for the period during which an apprentice remains on casual leave or medical leave and the stipend payment module on the apprenticeship portal shall require the establishment to update the unauthorised leaves and stipend amount payable to each candidate for the month.
- (14) Where the contract of apprenticeship is terminated through failure on the part of any employer in carrying out the terms and conditions thereof, such employer shall be liable to pay the apprentice compensation under these rules.
- (15) The progress in apprenticeship training of every apprentice shall be assessed by the employer from time to time and every apprentice who completes his apprenticeship training to the satisfaction of the employer shall be granted a certificate of proficiency by that employer which shall be the basis for further assessment or certification by the concerned awarding body.
- (16) The conditions for the degree apprenticeship shall be the following, namely:—
 - (i) the employer shall provide the apprenticeship training as per the approved program in accordance with the contract and within the overall provisions of the Act;

- (ii) the academic Institution shall deliver the course as per the approved course curriculum including the management of the apprenticeship component undertaken in partnership with the industry partner or employer;
- (iii) mapping and reporting apprenticeship contracts and other related compliance on the portal shall lie with the academic institution or any authorised agency working on its behalf;
- (iv) the employer shall permit apprentices to attend scheduled academic sessions in between the training period either at the on-the-job training premises or at the academic institution campus as the case may be.
- (17) In case of any applicable Government scheme for apprenticeship promotion, the establishment or apprentice or guardian (in case of minor apprentice) warrant and confirm that they have studied, understood, and agree to comply with the scheme guidelines pertaining to them, and these Guidelines shall be made available in the public domain and may be updated from time to time.”;
14. In the said rules, in SCHEDULE-IV, for paragraph 2, the following paragraph shall be substituted, namely:-
- “2. In the case of Degree and Graduate Apprentices:
- Must hold a degree in appropriate branch of study or engineering or technology or equivalent qualification as recognised by the Government of India or the All India Council or University Grant Commission.”.
15. In the said rules, in SCHEDULE-V, under paragraph I, relating to Obligations of Employer (both in the case of Major and Minor Trade Apprentices),—
- (i) in sub-paragraph (2), after clause (a), the following clause shall be inserted, namely:-
- “(b) the employer shall make suitable arrangements for imparting a course of basic training or course of practical training or both through online or virtual or electronic or blended mode in accordance with the syllabus approved by the Central Government in consultation with Central Apprenticeship Council for designated trade and for the optional trade, the syllabus shall be approved by the National Council. The employer shall engage apprentices in such training only between the hours of 8.00 am and 6.00 pm and any relaxation to this time shall be approved by the Apprenticeship Adviser, on case-to-case basis, the hours of work, overtime, leave and holidays provided under section 15 of the Act.”;
- (ii) in sub-paragraph (5), after clause (b), the following clause shall be inserted, namely:-
- “(c) An establishment may deploy only a major apprentice during the practical training period in a client location (other than the workplace of practical training) within the country or abroad and no minor apprentice shall be deployed: Provided that the establishment shall pay to apprentice additional compensation —
- (i) for a client location within the country, in addition to the prescribed minimum amount of stipend shall pay additional compensation specified in sub-rule (1) of rule 11 and the additional compensation shall be at least the prescribed minimum amount of stipend for such period of deployment, to and fro travel cost, accommodation, food, hospitalisation cost and insurance.
- (ii) for a client location abroad, in addition to the prescribed minimum amount of stipend shall pay an additional compensation of atleast twice the prescribed minimum amount of stipend specified in sub-rule (1) of rule 11 and the establishment shall bear the cost of visa, travel, medical tests, hospitalisation, insurance, cost of travel to and fro, stay and food;
- (iii) any violation by the establishment shall be dealt by the local labour office of the country concerned;
- (iv) the apprenticeship adviser shall approve the deployment of apprentice within the country or abroad on case-to-case basis;
- (v) the employer alone shall pay the stipend to the apprentice for the period of training in a client location and no cost of stipend shall be borne by the Central Government.”.
16. In the said rules, in the SCHEDULE-VI, —
- (i) for the heading, the following heading shall be substituted, namely:-
- “Terms and conditions of the contract of apprenticeship for graduate, technician, technician (vocational) and degree apprentices”;
- (ii) in paragraph (5), in sub-paragraphs (i) and (ii), after the words “Regional Central Apprenticeship Adviser”, the words “or Apprenticeship Adviser” shall respectively be inserted.

- (iii) in paragraph (6), for sub-paragraph (i), the following sub-paragraph shall be substituted, namely:-
- “(i) A Graduate, Technician, Technician (Vocational) Apprentice and Degree Apprentice shall work to the normal hours of work of the department in the establishment to which he is attached for training.”;
- (iv) after paragraph (6), the following paragraph shall be inserted, namely:-
- “(7) The responsibility of the Institution shall be the following, namely:-
- (i) to enter into a contract of apprenticeship between the apprentice and the employer;
 - (ii) to ensure related compliance on the portal site;
 - (iii) management, monitoring and evaluation as per the guidelines of the All India Council of Technical Education and University Grants Commission or as the case may be;
 - (iv) keep the apprenticeship adviser concerned informed about any visit to the establishment.”.

[F.No. MSDE-1/3/2024-AT]

SHREESHAIL MALGE, Jt. Secy.

Note: The Apprenticeship Rules, 1992 were published in the Gazette of India, Part II, section 3, sub-section (i), dated the 1st August, 1992 *vide* notification number G.S.R. 356, dated the 15th July, 1992 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 254 (E), dated the 19th April, 2024.